

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfobag-forest-uk@nic-in/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष नं:— 05963-220249 फैक्स नं:— 05963-220209

पत्रांक
सेवा में

327 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 27/07 / 2015।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- देवलधार—माईथान—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10903 / 2015)
संदर्भ :- आपका पत्रांक— 2567 / 12-1 दिनांक 12.05.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि देवलधार—माईथान—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगायी गयी आपत्ति के आधार पर इस कार्यालय से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बागेश्वर को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया था। उनके द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर निम्नानुसार सूचित किया गया है।

1. मोटर मार्ग के समरेखण में 5.4 है० आरक्षित वन भूमि 0.891 है० सिविल सोयम भूमि एवं 0.7065 है० वन पंचायत भूमि कुल 6.9975 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव आनलाईन करने पर पार्ट—1 भरते समय उक्त संख्या ही भरी गयी जिसमें कम्प्यूटर द्वारा आरक्षित वन भूमि का डाटा 5.4 है० स्थान पर 5.39 है० लिया गया, जिस कारण आनलाईन डाटा सीट में कुल वन भूमि का योग 6.9875 है० आया। यदि इसे दशमलव के बाद एक स्थान तक मानते हैं तो 5.39 है० या 5.4 है० ही आता है और कुल वन भूमि का योग 6.9975 है० होता है। इस त्रुटि का निराकरण इस स्तर से नहीं हो पा रहा है।
2. मार्ग समरेखण में प्रभावित वन पंचायत वन खण्ड एवं वन पंचायत लेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर संलग्न किया गया है। प्रति संलग्न है।
3. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं जिलास्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण पत्र भी संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(एम०बी०सि०ह)
प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

पत्रांक 1416 / 2 ई०व०भ०
सेवा में

दिनांक जुलाई, 25, 2015

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर में देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना सोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव
(प्रस्ताव संख्या 10903 / 2015)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4054 / 12-1-2 दिनांक 22.06.2015

महोदय,



कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मोटर मार्ग के संरेखण में वास्तविक रूप में 5.4 है० आरक्षित वन भूमि, 0.891 है० सिविल सोयम भूमि एवं 0.7065 है० वन पंचायत भूमि कुल 6.9975 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव ऑनलाईन करने पर पार्ट-1 भरते समय उक्त संख्या ही भरी गयी जिसमें कम्प्यूटर द्वारा आरक्षित वन भूमि का डाटा 5.4 के स्थान पर 5.39 लिया गया जिस कारण ऑन लाईन डाटा सीट में कुल वन भूमि का योग 6.9875 आया। यदि इसे दशमलव के बाद ~~एक~~ स्थान तक मानते हैं तो 5.39 या 5.4 ही आता है और कुल वन भूमि का योग 6.9975 होता है। इस अशुद्धि का निराकरण इस स्तर से नहीं हो पा रहा है।

2— मार्ग के संरेखण में वन पंचायत बड़खंड की भूमि भी प्रभावित हो रही है। वन पंचायत वनखंड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑन लाईन प्रेषित कर दिया गया है। एक प्रति संलग्न है।

3— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.02.2015 को जिला स्तरीय समिति की बैठक की गयी एवं जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 02.03.2015 को प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न है। अब दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र पुनः ऑन लाईन प्रेषित कर दिया गया है। एक प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

संलग्न:- उक्तानुसार

वालवाहा 429
कालवाहा 121-2
दिनांक 25/7/2015
मा० का० करें।


भवदीय,

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर 

पू०सं 2 ई०व०भ० उक्त दिनांक
प्रतिलिपि जिला अधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

1.6

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No-----

Dated 02-03-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.9915 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girachhana motor road in Bageshwar district** falls within jurisdiction of **Dewaldhar (Bankhand), Leti and Chauhana Village in Bageshwar Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.9915 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose – as above

Dated 02-03-2015

Signature


(Bhupal Singh Manral,
District Collector)

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक २८.०२.२०१५ को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक २४.०२.२०१५ द्वारा देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है। भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है। उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है। भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण
अधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
जिला बागेश्वर सो
मन्दिर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित देवलधार—माईथान—लेटी—गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 हैं वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक ०२-०३-२०१५—

(भूषण सिंह मनराल)

प्रिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सङ्क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

वन पंचायत वृषभपुरी बैठक कार्यवाही

दिनांक 15/7/15 को वन पंचायत वृषभपुरी बैठक हुई जिसमें देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाइन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 15/7/15 को वन पंचायत वृषभपुरी आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :— 20-7-2015

स्थान :— वृषभपुरी

वन पंचायत वृषभपुरी
ग्रामीण विकास विभाग
ह०-सरपंच बागेश्वर
सरपंच व०पं०

प्रतिलिपि, अधिशासी अभियन्ता, महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. ~~प्रेमांशु~~ - ~~फैलाई~~
2. ~~प्रेमांशु~~ - ~~छोलाई~~
3. ~~मोहनी~~ देवी - ~~मधुनी~~ देवी
4. ~~मांका~~ देवी - ~~मांवती~~
5. ~~चरु~~ सिंह - ~~धरम~~ सिंह

सरपंच

Phemeshwar Singh

वन पंचायत वृषभपुरी
ग्रामीण विकास विभाग
ह०-सरपंच बागेश्वर

20-7-2015

वन पंचायत लेटी की बैठक कार्यवाही

दिनांक 15.05.2015 को वन पंचायत लेटी की बैठक हुई जिसमें देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाइन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 15.05.2015 को वन पंचायत लेटी की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :— 02.06.2015

स्थान :— लेटी

ह०— शेर सिंह
सरपंच व०प० लेटी

प्रतिलिपि, अधिशासी अभियन्ता, महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत लेटी

- ① जानि देवी - शानि देवी
- ② वद्य सिंह - एमाना
- ③ दीपा देवी - दीपादेवी
- ④ किरण सिंह - बिराज
- ⑤ इमाम सिंह - ईमाम
- ⑥ अवलु सिंह - अवलुमिंह

प्रस्ताव
वन पंचायत लेटी
लो०नि०वि० बागेश्वर-माईथान
उत्तराखण्ड